# फर्द अहकाम

(नियम 26)

**राजस्व अपील जीसीएमएस नंबर 2024/147 बअनवान मकना वगैरा बनाम केसा वगैरा**

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 13.05.26 | (see below) | |

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट श्री छगनलाल प्रजापत ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि अपीलाधीन भूमि ग्राम सांमरवाडा पटवार हल्का काकराडी के हाल खसरा नंबर 259, 260 रकबा 1.4500 हैक्टर रिकॉर्ड में रेस्पोंडेंट्स केसा द्वारा अपने पुत्र बाबुराम को खसरा नंबर 259 व खसरा नंबर 260 को अपने दूसरे पुत्र धर्माराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा दिया। जबकि मूल रूप से खातेदार खेता पिता अमरा थे। मृतक खेता के तीन पुत्र क्रमशः थावरा, भगा व काला हुये। मृतक थावरा का पुत्र केसा है। मृतक भगा के दो पुत्र पूना व हिमता ला-औलाद फौत है। मृतक काला के दो पुत्र मकना व बाबूराम है। अतः अपीलांट मकना, बाबूराम पिता काला व रेस्पोंडेंट पूना का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करवा कर रेस्पोंडेंट केसा द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकृत कराया गया नामांतरकरण संख्या 7 स्वीकृति दिनांक 31.12.1998 को खारिज किये जाने की दलील दी है। विद्वान वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के संबंध में दलील दी कि विवादास्पद नामांतरकरण की जानकारी होते ही अपने अधिवक्ता से संपर्क कर 02.02.2024 को न्यायालय में पेश कर दी थी। जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की दलील दी। वकील रेस्पोंडेंट संख्या 02 पूना पिता भगा ने वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत गोरिया द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 7 स्वीकृति दिनांक 31.12.1998 को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश कियेः-

2025 (3) DNJ (SC) 965

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि अपीलांट द्वारा जिस नामांतरकरण को निरस्त किये जाने की दलील दी जा रही है उस नामांतरकरण संख्या 7 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम सांभरवाडा पटवार हल्का काकराडी के हाल खसरा नंबर 259, 260 रकबा 1.4500 हैक्टर रिकॉर्ड में रेस्पोंडेंट्स केसा द्वारा अपने पुत्र बाबुराम को खसरा नंबर 259 व खसरा नंबर 260 को अपने दूसरे पुत्र धर्माराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा दिया। जबकि मूल रूप से खातेदार खेता पिता अमरा थे। मृतक खेता के तीन पुत्र क्रमशः थावरा, भगा व काला हुये। मृतक थावरा का पुत्र केसा है। मृतक भगा के दो पुत्र पूना व हिमता ला-औलाद फौत है। मृतक काला के दो पुत्र मकना व बाबूराम है। इस प्रकार खेता के देहांत के पश्चात दाखिल विवादास्पद नामांतरकरण संख्या 7 के जरिये माफिक खेता के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं किया जाकर अकेले रेस्पोंडेंट केसा का नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया। विवादास्पद नामांतरकरण विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं। ग्राम सांभरवाडा पटवार हल्का काकराडी के विवादास्पद भूमि के संबंध में दाखिल व नामांतरकरण संख्या 7 स्वीकृति दिनांक 31.12.1998 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाली आदेशानुसार नामांतरकरण निरस्त करते हुये खेता के वारिसान के नाम नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner